केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
आँचलिक कार्यालय (उत्तर) लखनऊ
ZONAL OFFICE (NORTH) LUCKNOW
(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS, GOVT. OF INDIA)

Certificate No.
T-1787; T-1788

जेड.ओ.एल./प्रशा/59/खण्ड-V/ 824 दिनाँक 19.12.2012

सेवा में,
संलग्नक के अनुसार

विषयः- आँचलिक कार्यालय, लखनऊ एवं परियोजना कार्यालय, आगरा हेतु सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रण।

महोदय,

विषयगत क्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आँचलिक कार्यालय (उत्तर), पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ तथा परियोजना कार्यालय, 04 धौलपुर हाउस, एम.जी रोड, आगरा के लिए सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु नियम व शर्ते संलग्न निविदा सूचना में दी गयी है।

भवदीय

19/12/12
(गोविन्द भगत)
अनुभाग अधिकारी

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि :

1. प्रभारी, कम्प्यूटर प्रभाग - कृपया निविदा सूचना को बोर्ड की बेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
   के.प्र.नि.बोर्ड, दिल्ली
2. प्रभारी, परियोजना कार्यालय,
   आगरा
3. लेखा प्रभाग
   आँ.कार्या., लखनऊ
4. कार्यालय प्रति
   आँ.कार्या., लखनऊ

अनुभाग अधिकारी

पिकप भवन, भूतल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.)
PICUP Bhawan, Ground Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow-226010 (U.P.)
EPABX दूरभाष: 0522-4087600, 4087700
दूरभाष:/Tel. : 0522-4087601-05, 2721915
फैक्स/Fax :0522-4087602
ई-मेल/e-mail:cpcblucknow@airtelmail.in

प्रधान कार्यालय/Head Office:
परिवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर, दिल्ली-110032
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032
EPABX दूरभाष/: Tel. : 011-43102030, 22303717
फैक्स/Fax:011-22307078, 22307079, 22305793, 22301932, 22304948
ई-मेल/e-mail:cpcb@nic.in
वेबसाइट/Website:http://www.cpcb.nic.in

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फोन नं. 0522-4087600, 4087607
आँचलिक कार्यालय (उत्तर)
पिकप भवन, गोमती नगर
लखनऊ 226010

दिनांक 19.12.2012

निविदा सूचना

विषयः– सुरक्षा एजेन्सी नियुक्त करने हेतु निविदा आमंत्रण ।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठन है। बोर्ड के पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित आँचलिक कार्यालय (उत्तर) तथा 4, धौलपुर हाउस, एम.जी. रोड, आगरा स्थित परियोजना कार्यालय एवं इसके अन्तर्गत एत्माद्दौला, नुनिहाई एवं रामबाग स्थित वायु प्रबोधन केन्द्रों हेतु निम्नलिखित नियम व शर्तो के अनुसार प्रशिक्षित तथा अनुभवी सुरक्षाकर्मी/भूतपूर्व सैनिकों की आवश्यकता है।

नियम व शर्ते निम्न हैं :–

1. *सुरक्षा एजेंसी का दायित्व* – सुरक्षा एजेंसी निर्धारित दर पर अनुबंध लागू होने की तिथि से मांग के अनुसार शारीरिक दृष्टि से हृष्ट–पुष्ट सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करायेगी। वर्तमान में आगरा कार्यालय हेतु 12 तथा लखनऊ कार्यालय हेतु 11 सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता है जो आवश्यकतानुसार घट या बढ़ भी सकती है।
2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आवश्यकता पर सुरक्षाकर्मी को बदला या हटाया जा सकता है। सभी सुरक्षाकर्मी को पूर्ण यूनीफॉर्म में होना अनिवार्य है तथा वर्ष के प्रत्येक दिन (दिन में तीन पारी) राउण्ड द क्लॉक ड्यूटी करनी होगी। किसी भी सुरक्षाकर्मी को 8 घण्टे से अधिक ड्यूटी (एक दिन में) की अनुमति नहीं होगी तथा सुरक्षा एजेंसी भी किसी सुरक्षाकर्मी को अधिक ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं करेगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एजेंसी को निर्धारित दर पर भुगतान

मासिक बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। यदि अनुबंध के नियम व शर्तो के अनुसार बिल प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा। अतिरिक्त स्टॉफ की आवश्यकता होने पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचित किये जाने के एक सप्ताह के अन्दर एजेंसी को उपलब्ध कराना होगा।

3. सुरक्षाकर्मी के लिए नियम, आने-जाने का समय, प्रबोधन केन्द्र पर आने व जाने वाली सामग्री, सुरक्षा की सीमा, भवन, संयंत्र तथा उपकरण आदि के विषय में दोनों पार्टी (केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सुरक्षा एजेंसी) मिलकर नीति निर्धारित करेंगी। ये सभी नीतियॉं आवश्यकतानुसार बदली या संशोधित की जा सकती है। सुरक्षा एजेंसी उपरोक्त सभी नियमों के पालन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगी तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वांछित सभी रिकॉर्ड व रजिस्टर सुरक्षा कर्मी को पूर्ण करने होंगें।

4. सभी सुरक्षाकर्मियों को ड्यूटी के दौरान आवश्यक सभी उपकरण/सामग्री यथा धातु खोजी यंत्र, सीटी, टॉर्च इत्यादि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही उपरोक्त सामग्री के आवश्यकतानुसार बदलाव एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी संबन्धित सुरक्षा एजेंसी की होगी।

5. सुरक्षा एजेंसी को ई.एस.आई.सी. एक्ट के अन्तर्गत सभी सुरक्षाकर्मियों को कर्मचारी राज्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। तथा इसकी जानकारी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करानी होगी। बोर्ड इस सम्बंध में किसी प्रकार के दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

6. सुरक्षा एजेंसी को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी सुरक्षाकर्मियों को कर्मचारी भविष्यनिधि एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी। सुरक्षा एजेंसी द्वारा आवश्यकतानुसार प्रत्येक माह में संबंधित कर्मचारियों के पक्ष में ई.पी.एफ. व ई.एस.आई. जमा करवाकर उनकी रसीद व मासिक रिटर्न प्रत्येक बिल के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिल स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. सुरक्षा एजेंसी द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान अगले माह की 15 तारीख या उससे पहले किया जायेगा।

8. सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी से सम्बन्धित सभी नियम, सेवा शर्तें, भुगतान, उपस्थिति, अनुशासनात्मक मामलों में सुरक्षाकर्मी पूर्ण रूप से सुरक्षा एजेंसी के प्रशासनिक व वित्तीय नियंत्रण में रहेंगें। वे सुरक्षा एजेंसी के समय–समय पर लागू होने वाले नियम व कानूनों के अनुसार कार्य करेंगें। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी परिस्थिति में सुरक्षाकर्मी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी नहीं माने जायेंगें तथा सुरक्षाकर्मी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी। सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी किसी भी दशा में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रोजगार एवं भुगतान इत्यादि की मॉँग नहीं करेंगें।

9. भुगतान केवल सुरक्षा एजेंसी को क्रॉस एकाउण्ट पेयी चेक द्वारा ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में एडवांस भुगतान नहीं किया जायेगा।

10. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुरक्षा एजेंसी को कार्यालय/प्रबोधन केन्द्र पर उपलब्ध फिक्सड एसेट (चल एवं अचल) की एक सूची उपलब्ध करायी जायेगी। किसी नुकसान, चोरी या सेंधमारी की दशा में ड्यूटी पर कार्यरत सुरक्षाकर्मी को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व सुरक्षा एजेंसी को इसकी सूचना तत्काल उपलब्ध करानी होगी। सुरक्षा एजेंसी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को क्लेम किये गये बीमा दावे के निस्तारण के लिए बीमा कम्पनी व पुलिस के कार्यो में सहयोग करेगी।

11. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोनों पक्षों के मध्य तय राशि के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता/भुगतान/राशि किसी भी रूप में देय नहीं होगी।

12. सुरक्षा एजेंसी को कार्य करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति लिखित रूप से आवश्यक होगी। कॉन्ट्रेक्ट (संविदा) की अवधि एक वर्ष (अवार्ड पत्र जारी होने की तिथि से) होगी। इसे सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार समाप्त होने से पहले आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसी द्वारा अपेक्षित सेवा न देने अथवा अपेक्षित कागजात उपलब्ध न कराने की स्थिति में कॉन्ट्रेक्ट की अवधि कम या रद्द भी की जा सकती है।

13. नियुक्ति से पहले सभी सुरक्षाकर्मियों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जायेगा तथा सुरक्षा एजेंसी को इनकी पूरी संख्या रखना आवश्यक होगा। सुरक्षाकर्मी की संख्या कम होने पर बिल में से भुगतान समतुल्य (Proportionate) काट लिया जायेगा। सुरक्षाकर्मी द्वारा ड्यूटी में कोताही बरतने पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को होने वाले नुकसान को दोनों पक्षों की जाँच के पश्चात् एजेंसी के बिल से काटकर पूरा किया जायेगा। नुकसान की राशि किसी महीने के बिल से अधिक होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी।

14. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा सुरक्षाकर्मी को ड्यूटी के समय चेक किया जा सकता है। किसी भी गलती की स्थिति में स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है तथा और सुरक्षाकर्मी के सेवाशुल्क में कटौती भी की जा सकती है। ऐसे सुरक्षाकर्मी को ड्यूटी से तुरन्त हटाने की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी।

15. सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी नियुक्त सुरक्षा गार्ड के चरित्र व चालचलन के संबंध में तहसीलदार/राजपत्रित अधिकारी/प्रधान/पार्षद इत्यादि से प्राप्त प्रमाण-पत्र पेश करे।

16. सुरक्षाकर्मी सदैव साफ व निर्धारित वेशभूषा में रहेंगे और अपनी ड्यूटी के दौरान सजग रहेंगे। ड्यूटी के दौरान सोना या अन्य गतिविधियाँ, अनुशासनहीनता मानी जायेगी। कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारी प्रत्येक पखवाड़े में कम से कम एक बार रात्रि में औचक निरीक्षण करेंगे तथा इसकी रिपोर्ट सुरक्षा ऐजेंसी व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायेंगे।

17. निविदा दाता को जमानत EMD राशि के रूप में रू.10,000/- (दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो 'केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ' के पक्ष में देय हो, जमा करना आवश्यक है। बिना जमानत राशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

18. निविदा में गैर चयनित सुरक्षा एजेंसियों को जमानत राशि सुरक्षा एजेंसी चयनित होने या निविदा खुलने की तिथि के तीन माह (जो पहले हो) के अन्दर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी तथा चयनित सुरक्षा एजेंसी की राशि धरोहर राशि के रूप में जमा कर ली जायेगी। करार खत्म होने के पश्चात यह राशि बिना ब्याज के उक्त सुरक्षा एजेंसी को वापस कर दी जायेगी।

19. चयन होने की स्थिति में सुरक्षा एजेंसी को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास रू. 20,000/- (रू. बीस हजार मात्र) की राशि, सुरक्षाकर्मी द्वारा ड्यूटी या कोताही बरतने की स्थिति में चोरी या सम्पत्ति का अन्य नुकसान की भरपाई में बतौर जमानत जमा करानी होगी। जमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। आयकर नियम के अनुसार आवश्यक टी.डी.एस. भी मासिक बिल से काटा जायेगा। चयनित सुरक्षा एजेंसी की धरोहर राशि ही जमानत राशि के रूप में समायोजित कर ली जायेगी।

20. करार खत्म होने की अवधि के दौरान तथा एक वर्ष पश्चात तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुरक्षा एजेंसी के किसी सुरक्षाकर्मी को नियुक्त नहीं किया जायेगा।

21. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में संविदा की दर उनकी बढ़ोत्तरी तक दर संशोधित की जाएगी।

22. संविदा के दौरान करार को कभी भी एक माह के पूर्व नोटिस द्वारा अथवा किसी भी समय (सुरक्षा एजेंसी को एक माह के भुगतान द्वारा) रद्द किया जा सकता है।

23. प्रत्येक सुरक्षाकर्मी/भूतपूर्व सैनिक को दिये जाने वाले न्यूनतम मजदूरी, अन्य वैधानिक देय जैसे कर्मचारी राज्य बीमा शुल्क, कर्मचारी भविष्य निधि आदि का विस्तृत ब्यौरा (संलग्नक के अनुसार) सील लिफाफे में दिनांक 21.01.2013 तक भेजना है। प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तथा भूतपूर्व सैनिक हेतु दरें अलग-अलग देना आवश्यक है।

24. निविदादाता आवश्यक रूप से नोट करें कि मात्र सबसे कम दर होना ही चयन की पात्रता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सरकारी संगठन/पब्लिक सेक्टर यूनिट/ स्वायत्तशासी संगठन में सुरक्षा कार्य का कम से कम दो वर्ष अथवा अधिक का अनुभव आवश्यक है। वर्तमान में दो या अधिक सरकारी कार्यालयों

के साथ कार्य करने वाली ऐजेन्सी को वरीयता दी जायेगी। वर्तमान कार्य के साक्ष्य के संबंध में निविदादाता को अपने अनुबंध पत्र तकनीकी बिड के साथ संलग्न करनी होगी।

25. सुरक्षा एर्जेसी को निम्न प्रमाण–पत्र/पंजीकरण पत्र प्रस्तुत करने आवश्यक है–

क) सरकारी संगठन/पब्लिक सेक्टर यूनिट/स्वायत्तशासी संगठन में सुरक्षा कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव पत्र तथा साथ ही वर्तमान में दो या अधिक सरकारी करार का प्रमाण–पत्र।

ख) रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़ में पंजीकरण

ग) कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट का पंजीकरण पत्र

घ) कर्मचारी भविष्य निधि पंजीकरण पत्र

ङ) सेवाकर पंजीकरण पत्र

च) जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सुरक्षा एजेन्सी के मालिक का चरित्र प्रमाण पत्र

छ) जिन संस्थाओं के साथ काम किया है/कर रहे हैं, की सूची

ज) फर्म का स्थायी खाता सं0 (P.A.N.)

झ) पिछले 01 वर्ष की कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) व राज्य कर्मचारी बीमा योजना (ESIC) की मासिक रिटर्न की प्रति

ण) रू. 10,000/– (रू. दस हजार मात्र) की धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के नाम देय हो।

ट) आवेदक जिन्होंने निजी सुरक्षा एजेंसी (नियम) अधिनियम 2005 के तहत लाइसेंस ले रखा हो वे ही निविदा डालने के पात्र हैं।

26. निविदा दो अलग–अलग लिफाफों में एकल स्तर लिफाफा के द्वारा जमा करनहै। पहले लिफाफे के अन्दर पात्रता से सम्बन्धित सभी सूचनायें व विस्तृत विवरण

जैसा कि पैरा 25 व 26 में दिया गया है। लिफाफे के ऊपर सुरक्षा व्यवस्था हेतु पूर्व पात्रता की तकनीकी बिड सं. .... दिनांक .... अंकित करे। दूसरे लिफाफे के अन्दर सुरक्षा एजेंसी द्वारा मूल्य एवं अन्य विवरण पैरा 25 के अनुसार संलग्न प्रोफार्मा में दिया जायेगा और लिफाफे के ऊपर साफ अक्षरों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु मूल्य बिड सं. .... दिनांक .... अंकित करें। दोनों सील लिफाफों को एक लिफाफे के अन्दर रखें जिस पर बड़े साफ अक्षरों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा दिनांक .... अंकित हो। पूर्ण रूप से भरी तथा सील की गयी निविदा रजिस्टर्ड डाक/कोरियर द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप में प्रभारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ – 226010 को दिनांक 21.01.2013 सांय 05.00 बजे तक भेजी जानी है।

27. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व सुरक्षा एजेंसी के मध्य किसी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय दिल्ली का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

19/12/12
(गोविन्द भगत)
अनुभाग अधिकारी

Performa

To be submitted on or before 21.01.2013

1. Agency Name : M/s ....

2. Complete Address : ....

3. Telephone No. (Landline & Mobile): ....

4. Contact Person : ....

5. E-mail ID :..

7. Rate :..

S.No.	Type of Guard	Rate per month	ESIC	EPF	Total Amount
01.	**Trained Guard**				
02.	Ex. Service man				

- **Applicable Service charges :** .... %
- **Applicable Service Taxes :** .... %
- **Other Charges :** .... %

Enclosures: (Please Tick √)

i)	Registration Certificate	[ ]
ii)	Experience Certificates	[ ]
iii)	Service Tax Registration Certificate	[ ]
iv)	EPF Registration Certificate	[ ]
v)	ESIC Registration Certificate	[ ]
vi)	PAN No.	[ ]
vii)	Demand Draft / Cheque of Rs. 10,000/- (No.)	[ ]
viii)	Character Certificate of owner of Security Agency (Issued by D.M./Competent Authority)	[ ]
ix)	List of servicing organizations.	[ ]
x)	Statuary returns of last 01 year of EPF & ESIC	[ ]
xi)	Any Other	[ ]

Authorized Signatory
With full name & Designation

Place:

Company Seal & Date

LIST AND ADDRESSES OF SECURITY AGENCIES

01.	M/s. Suraksha Kawach Security & Allied Services B-30, Vishwas Market, Vishwas Khand-3, Gomti Nagar, Lucknow-226010
02.	M/s. Fighting Four Security Services Pvt. Ltd. FF, 59, 88, Khazana Shopping Complex Ashiana, Lucknow-226012
03.	M/s. Bipul Detective & Security Service (P) Ltd. 87/110, Bhannana Purwa, Kalpi Road, Kanpur
04.	M/s. Scientific Security Management Services Pvt. Ltd. B-70, Mahanagar, Sector –C Lucknow
05.	M/s. Keshav Security Services Pvt. Ltd. 18, Local Shopping Centre IInd Floor, Madangir, New Delhi-110062
06.	M/s. Industrial Security Associates (Regd.) 11/188, Uadhav Karam Complex, Ghatia Azam Khan, Agra-2
07.	M/s. Albatross Security & Allied Services B-1567 (HIG), Indira Nagar, Lucknow-226010
08.	M/s. Federal Security GF, Dayal Chambers, 3 Ram Mohan Rai Marg (Opp. Krishi Bhawan) Lucknow.
09.	M/s Leopard Guard Security Services H.No. 94, Piprauli South City Raibareli Road Near Power House Lucknow
10.	M/s Colonel's Security Services (P) Ltd. 83G/41, Sanjay Palace, Agra
11.	M/s Bhootpoorve Sainik Security Guard Services S-1/16AGL-Kailashkunj, Faizabad Road Lucknow-226016
12.	M/s. Lancers Security Guard Services 570/94/54-A, Fauji Azad Nagar Alambagh, Lucknow-226005

19/12/12